कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग
सतपुडा भवन, भोपाल 462004

कमांक 2495/आउिश/न्या.प्र/2021 भोपाल दिनांक 28-12-21

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषय : युवाओं को तम्बाकू आपदा से बचाने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के परिसर को धूम्रपान मुक्त/तम्बाकू मुक्त घोषित करने एवं तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 6 के पूर्ण परिपालन हेतु।

—0—

भारत मे 12–13 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष तम्बाकू सेवन के कारण होती है। ग्लोबल वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे 2016) के अनुसार, मध्यप्रदेश में 34.2 प्रतिशत वयस्क किसी ना किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं जिसमें 50.2 प्रतिशत पुरूष और 17.3 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं। **नशामुक्ति अभियान** के तहत **शैक्षणिक संस्थानों** को तम्बाकू आपदा से बचाने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।

तम्बाकू उत्पादों को बढावा देने के लिये विभिन्न प्रचार माध्यमों से युवाओं को तम्बाकू उपयोग की ओर आकर्शित करने के लिये विभिन्न तरह के प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और शैक्षणिक संस्थानों के आस–पास तम्बाकू उत्पादों की बिकी की जाती है। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं और आकर्शित करने वाली योजनाओं द्वारा तम्बाकू उत्पादों को बढावा भी दिया जाता है। तम्बाकू एक ऐसा उत्पाद है जो वैज्ञानिक रूप से नशे की लत पैदा करता है जिससे बीमारी और मौत हो सकती है।

भारत सरकार ने तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिये **सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003** बनाया है।

इस कानून की निम्नलिखित धारा अत्यंत महत्वपूर्ण है:–

- <u>धारा 4</u> :सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वेस्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एअरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, **शिक्षण संस्थान**, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200/– रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

- धारा 5 : सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित है।
- धारा 6 :नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचना और उनके द्वारा सेवन करना प्रतिबंधित है साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की दुकाने प्रतिबंधित है।
- धारा 7 : तम्बाकू उत्पादों के 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है।

तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रारूप सम्मेलन (फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबेको कन्ट्रोल (FCTC)) की वर्ष 2004 में भारत के द्वारा अभिपुष्टि की गई है, अतः भारत FCTC के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। FCTC के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार तम्बाकू उद्योग के वाणिज्यिक तथा अन्य निहित स्वार्थों से तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एव लोक स्वास्थ्य नीतियों को सुरक्षा प्रदान की जानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के FCTC अनुच्छेद 5.3 के अनुसार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण नीतियों को निर्धारित करने और स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कानून के अनुसार दिशा–निर्देशों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

शैक्षणिक संस्थानं को धूम्रपान मुक्त/तम्बाकू मुक्त घोषित करने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 को प्रभावी रूप से लागू करने के साथ यह भी जरूरी है कि तम्बाकू नियंत्रण के लिये होने वाली गतिविधियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न हो, ताकि हम राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर सकें । अतःयुवाओं को तम्बाकू आपदा से बचाने के लिए आपसे अपेक्षा है कि आप विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) FCTC के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार निम्नलिखित दिशानिर्देशो का पालन सुनिश्चित करें:–

- तम्बाकू उत्पादों की व्यसनी और हानिकारक प्रकृति के बारे में जागरूकता बढाई जाये और तम्बाकू नियंत्रण नीतियों के साथ तम्बाकू विक्रेताओं/उद्योग द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप के बारे में जानकारी दी जाये।
- ऐसी किसी भी तरह की बैठक या आयोजन को सीमित करें जिसमें लगता हो कि उससे तम्बाकू नियंत्रण के लिये किये जा रहे प्रयासों को प्रभावित किया जा सकता हो उदाहरण के लिये तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 5 के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू उत्पादों का प्रचार–प्रसार प्रतिबंधित है।
- यदि तम्बाकू उपयोग को प्रचारित करने के लिये कोई प्रतिनिधि बैठक करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में प्रतिनिधि से किसी प्रकार का संपर्क अथवा पत्राचार करने के पूर्व यह मामला लिखित रूप में उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जा सकता है।

- शैक्षणिक संस्थान में में तम्बाकू उपयोग को प्रचारित करने के लिये किसी भी तरह की जनसम्पर्क गतिविधियाँ ना हो।
- यदि कोई कम्पनियाँ रूप से जिम्मेदार (Corporate Social Responsibility-CSR) गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू उत्पादों को बढ़ावा देते हुए दिखे तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए और सुनिश्चित करे कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावित ना हो। शिक्षण संस्थान में तम्बाकू उद्योग एवं विक्रेता द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि का आयोजन न हो।
- तम्बाकू उपयोग को बढ़ावा देने वाली किसी भी तरह की साझेदारी ना हो।
- सभी कर्मचारियों को तम्बाकू उपयोग को बढ़ावा देने या प्रचारित करने वाली गतिविधियों में इन्वोल्व न होना चाहिए और ना ही किसी संचार माध्यम से जुड़ना चाहिए
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू नियंत्रण को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के आयोजन प्रचार, प्रतियोगिता आदि में भाग ना ले।
- महाविद्यालय में तम्बाकू उत्पादों को प्रचारित करने वाली संस्थाओं/कम्पनीयों के आयोजन में कोई भी साझेदारी न हो यह सुनिश्चित करें।

(दीपक सिंह) IAS
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ.क. 2496 /आउिश/न्या.प्र/2021 भोपाल दिनांक 29-12-21

प्रतिलिपि :

1- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लिंक रोड नं. 3 कोलार रोड भोपाल
2. नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लिंक रोड नं. 3 कोलार रोड़, भोपाल।
3- कार्यकारी निदेशक म.प्र. वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, बिलावली तालाब के पास पोस्ट कस्तूरबाग्राम, इंदौर।

अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश